अध्याय-II : लेखापरीक्षा तंत्र

हमने यह विषय क्यों चुना?

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (वर्ष 2007-12) में देश की कुशल जनशक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तथा सामाजिक समानता भी प्रदान करने के लिए तकनीकी शिक्षा प्रतिपादित करने वाले संस्थानों के विस्तार और उन्नयन के लिए आठ नए भा.प्रौ.सं. स्थापित करने की परिकल्पना की गई।

नए भा.प्रौ.सं. की स्थापना को कैबिनेट द्वारा (जुलाई 2008) अनुमोदित किया गया था तथा वर्ष 2008 और 2009 के दौरान आठ नए भा.प्रौ.सं. जैसे भा.प्रौ.सं. भुवनेश्वर (आईआईटीबीबीएस), भा.प्रौ.सं. गांधीनगर (आईआईटीजीएन), भा.प्रौ.सं. हैदराबाद (आईआईटीएच), भा.प्रौ.सं. इदौर (आईआईटीआई), भा.प्रौ.सं. जोधपुर(आईआईटीजे), भा.प्रौ.सं. मंडी, भा.प्रौ.सं. पटना (आईआईटीपी) और भा.प्रौ.सं. रोपड़ की स्थापना की गई।

इन नए भा.प्रौ.सं. की स्थापना की स्थिति का आकलन करने के लिए एक निष्पादन लेखापरीक्षा (पीए) की गई थी, अर्थात यह जानने के लिए कि क्या निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया गया है और क्या इन भा.प्रौ.सं. के समग्र कामकाज में सुधार की कोई गुंजाइश है।

2.1 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निम्नलिखित उद्देश्यों का आकलन करने के लिए निष्पादन लेखापरीक्षा की गयी ताकि यह ज्ञात किया जा सके कि क्या:

क. भा.प्रौ.सं. की अवसंरचना का निर्माण मितव्ययता, कुशलतापूर्वक एवं प्रभावी ढंग से किया गया था;

ख. उपकरणों और सेवाओं का प्रापण एक मितव्ययता, दक्षता और प्रभावकारिता से किया गया था;

ग. शासी एवं निरीक्षण निकायों द्वारा प्रभावी प्रबंधन कार्य किया गया और वित्तीय संसाधनों को किफायती, कुशल और प्रभावी तरीके से प्रबंधित किया गया; तथा

घ. परिकल्पनानुसार शैक्षणिक कार्यक्रमों और अनुसंधान क्रियाकलापों को दक्षता और प्रभावी ढंग से कार्यान्वित किया गया था।

2.2 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा मानदंड निम्नांकित से लिए गए :

क. प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम 1961 के अन्तर्गत समय-समय पर संशोधित, नियम और विनियम,

ख. संबंधित भा.प्रौ.सं. के परिनियम,

ग. शिक्षा मंत्रालय (एमओई) का आउटकम बजट - 2016-17,

घ. भा.प्रौ.सं. को अधिक से अधिक ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए स्वायत्त उपायों की सिफारिश करने के लिए (भा.प्रौ.सं. परिषद द्वारा स्वीकृत) शिक्षा मंत्रालय द्वारा नियुक्त डॉ. अनिल काकोदकर समिति का प्रतिवेदन,

ङ. नए भा.प्रौ.सं. (2008) की स्थापना पर शिक्षा मंत्रालय का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन,

च. भा.प्रौ.सं. परिषद/बीओजी और विभिन्न समितियों की बैठकों का कार्यवृत्त,

छ. केंद्रीय लोक निर्माण विभाग कोड और सामान्य वित्तीय नियमावली (जीएफआर) 2005 और जीएफआर 2017, तथा

ज. चयनित अवसंरचना कार्यों के अनुबंध।

2.3 लेखापरीक्षा क्षेत्र

निष्पादन लेखापरीक्षा, प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 1961 की धारा 23(2) के साथ पठित, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) के तहत समग्र प्रबंधन के क्षेत्रों में भा.प्रौ.सं. की पांच वर्षों (2014-19)[3] की क्रियाकलापों को समाविष्ट करते हुए आयोजित की गई थी जिसमें शामिल है-

- अवसंरचना का निर्माण
- उपकरण और सेवाओं का प्रापण
- वित्तीय प्रबंधन
- शैक्षणिक निष्पादन

[3] कुछ क्षेत्रों के बेहतर प्रस्तुतिकरण के लिए संबंधित भा.प्रौ.सं. की स्थापना के बाद से संबंधित डेटा पर विचार किया गया है। इसमें भा.प्रौ.सं. के गठन, स्थायी/पारगमन परिसर से स्थानान्तरण, अवसंरचना के लिए मास्टर प्लान और पाठ्यक्रम शुरू करने से संबंधित आंकड़े शामिल हैं। हालांकि वित्तीय प्रबंधन के संबंध में वर्ष 2014-2020 के अवधि के लिए निधि की उपलब्धता और उसके उपयोग पर विचार किया गया था।

2.4 लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली

निष्पादन लेखापरीक्षा, अगस्त 2019 के दौरान सी.ए.जी. के पांच सहभागी क्षेत्रीय लेखापरीक्षा कार्यालयों[4] द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आठ भा.प्रौ.सं. के संबंधित निदेशक के साथ आयोजित प्रवेश सभा के साथ शुरू हुई। इन प्रवेश सभाओं में, लेखापरीक्षा उद्देश्यों, कार्यक्षेत्र, लेखापरीक्षा मानदंड और लेखापरीक्षा नमूना जांच के बारे में जानकारी दी गई और चर्चा की गई। इसके बाद, निष्पादन लेखापरीक्षा वर्ष 2019 और 2020 के दौरान संचालित की गई थी।

लेखापरीक्षा पद्धति में अभिलेखों की संवीक्षा, मानकीकृत अनुलग्नकों के माध्यम से सूचना प्राप्त करना और चयनित अवसंरचना कार्यों का संयुक्त भौतिक निरीक्षण आदि सम्मिलित था।

नवंबर/दिसंबर 2020 के दौरान संबंधित भा.प्रौ.सं. के साथ निर्गम सभा आयोजित की गई, जिसमें प्रमुख लेखापरीक्षा निष्कर्षों और अन्य मुद्दों पर संबंधित क्षेत्राधिकार वाले लेखापरीक्षा कार्यालय द्वारा चर्चा की गई।

2.5 लेखापरीक्षा नमूना जांच

लेखापरीक्षा नमूना जांच चार लेखापरीक्षा क्षेत्रों में की गई थी। प्रतिस्थापन के बिना सरल यादृच्छिक नमूना जांच (एस.आर.एस.डब्ल्यू.ओ.आर) विधि (जैसा कि ***परिशिष्ट 2.1 और 2.2*** में विस्तृत रूप में है) का उपयोग करके विस्तृत जांच के लिए नमूने लिए गए थे जैसा कि ***तालिका 2.1*** में दर्शाया गया है:

तालिका 2.1: लेखापरीक्षा क्षेत्र-वार सम्पूर्ण और विस्तृत जांच के लिए चयनित नमूने

नमूना	लेखापरीक्षा क्षेत्र	सम्पूर्ण	चयनित नमूने
1	अवसंरचना परियोजनाएं/निर्माण	307	**136**
2	उपकरण और सेवाओं का प्रापण	9925	**437**
3	अनुसंधान परियोजनायें	1717	**208**
4	संकाय	996	**307**

[4] संबंधित महानिदेशक/प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (केंद्रीय) द्वारा अभ्यावेदित।

2.6 आभार

निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान भा.प्रौ.सं. के प्रबंधन द्वारा किए गए सहयोग के लिए लेखापरीक्षा उनका आभार प्रकट करता है।

2.7 प्रतिवेदन के बारे में

यह प्रतिवेदन प्रारंभिक प्रेक्षणों/मसौदा प्रतिवेदन के संबंध में भा.प्रौ.सं. के जवाबों और निर्गम सभाओं के दौरान चर्चा/पुष्टि के साथ मसौदा प्रतिवेदन के लिए शिक्षा मंत्रालय (एमओई) की टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है।